

1. Introduction  
2. Background  
3. Methodology

1.1. Background

1.2. Methodology

2. Methodology

The methodology used in this study is a combination of qualitative and quantitative methods. The data was collected through interviews, focus groups, and surveys. The data was then analyzed using content analysis and statistical methods. The results of the study are presented in the following sections.

The data was collected through interviews, focus groups, and surveys. The data was then analyzed using content analysis and statistical methods.

2.1. Methodology

Method	Description	Advantages	Disadvantages
Interviews	One-on-one conversations with participants.	Allows for in-depth exploration of individual experiences.	Time-consuming and may be subject to bias.
Focus Groups	Group discussions with participants.	Allows for exploration of shared experiences and perspectives.	Group dynamics may influence responses.
Surveys	Questionnaires distributed to a large number of participants.	Allows for collection of data from a large, diverse sample.	May lack depth and detail.

2.2. Methodology

- 1. Methodology
- 2. Methodology
- 3. Methodology
- 4. Methodology
- 5. Methodology
- 6. Methodology
- 7. Methodology
- 8. Methodology
- 9. Methodology
- 10. Methodology



**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्राविष/परिषद्/संशो/सम्बद्धता/2022/10770

तखतः दिनांक- 15/12/2022

**आवृत्तम आहः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय कार्यालय अंतर्गत इतिहास, गई दिल्ली द्वारा मैट्रिक सं 2022-23 हेतु किये गए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 04/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सं 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सर्वोत्तम विचार करते हुए सं 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुकूल में संस्थाओं को सम्बद्धता पर स्वरूप परीक्षा/आई: द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीसीआईओ के पास सन्दर्भ संख्या 14-443/2022-PC/Approved Process 2022-2023/1/दोस्त 09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों तम में प्रस्तावित संस्थाओं से पूर्व में इंगित कम्पिनी के निरस्त रूप का खिस्तक परीक्षा/आईओएफए पर अपूर्णत करके हुए निश्चित प्रारूप पर काम कर अखिल करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अर्जापत्रों के साथ-साथ सपथ पर संकेत प्रस्ताव की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस वर्ग के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निर्देशक के स्वरूप परीक्षा/आईओएफए का सफल करना होगा।

**संस्था का शीट एवं नाम : 2025-SAMRIDDHI COLLEGE OF PHARMACY**

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सं 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं 2022-23 हेतु उदक संशोधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था परीक्षा/आईओएफए/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः मान्य करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2005, सेमेस्टर विनियमवली-2014 तथा समक-समय पर निर्मित शासनवैश्वी का अनुपालन करेगी तथा वृत्तक निर्धारक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय ईसीओ पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय शासनवैश्वी (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक शासनवैश्वी से प्राप्त किया जाएगा। शासनवैश्वी के अतिरिक्त शासनवैश्वी से वृत्तक के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनवैश्वी प्रभावी होंगे, और अनुसूचित कार्यवाही किए जाने आवश्यक होगा। एसी निर्धारक समिति द्वारा यदि सं 2022-23 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शर्तों की गरीबता को लागू होगी।
- ✓ संस्था में संगुप्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रयोग दिया जाएगा।
- ✓ संस्था जो समय-समय पर निर्मित शासनवैश्वी के अनुसार निर्देशक एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान द्वारा प्रवेश वास्तव प्राप्त करने पर विधिनिष्ठा, अधिनियमों, वास्तवदोषों, निर्देशों एवं निर्देशक, प्रादेशिक शिक्षा 2002, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2002 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद, 2002 द्वारा बताने वाले नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का 20-अई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त प्रावधानों को लागू किया जाएगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य उत्तरदायी होगी। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रादेशिक शिक्षा निदेशावली एवं प्रादेशिक शिक्षा निष्ठा तब तक प्रवेश वास्तव के निरस्त यदि कोई बात उत्तर दिया जाता है तथा उत्तर प्राप्त के संबंध में या, न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधी कार्य को करनी होगी।
- ✓ संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कालनिष्ठता प्रदान होने के पूर्व ए0अई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कालनिष्ठता के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर नहीं) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समस्त पर निर्गत नवीनतम आदेशों निम्नलिखित का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, स्टाफ, सचिव-सचय, उपकरण, प्राण शिक्षा जाने वाला सुख, छात्रावास सुख आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त कक्षाएं उपलब्ध करने के साथ ही गैर-रखने के संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक संवत्गत पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराते एवं अधिदेश, भूमि-भवन, जननीय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवत्गत में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तरोत्तर का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने वाले की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निर्देशों के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सचिव-सचय ए0अई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुमाननात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ0आर0 आर0 आर0)

सचिव

15/12/2022

फ़ोन- 0522-2222107/11-1153

जतिशिति  
 जगतगर्भनिदेशक, BANRIDI COLLEGE OF PHARMACY

  
(एफ0आर0 आर0 आर0)

सचिव

## कार्यालय

राष्ट्रीय प्रविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या - प्राधिकापरिषद सम्बद्धता/2023/12090001

तकालक दिनांक: 12-09-2023

### संबद्धता सूचना

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय कार्यालय ऑन एडिजिट, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक स्तर 2023-24 हेतु पूर्व से सम्बंधित डिप्लोमा करीब तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विचार प्रदान किये जाने के अन्तर्गत प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार से सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने के संकेत में दिनांक: दिनांक 25-08-2023 एवं दिनांक 02-09-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवह हुई। बैठक में सब 2023-24 हेतु राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय कार्यालय ऑन एडिजिट, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रस्त अनुमोदन विचार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा विश्व बैंक निधि के अन्तर्गत में संस्थाओं को सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिने गढ़े निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सब 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का खोल एवं नाम : 3025-SAMBHITA COLLEGE OF PHARMACY

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एन-आई-ओ-एल-एडिजिट परीक्षा-अर्जित हुए सब 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सब 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्रविधिक शिक्षा, अनुभाग 2 अंतर्गत प्रवेश प्रमाण के सब संख्या 21/218-आर/19/2022 दिनांक-1 दिनांक 19 मई 2023 द्वारा पूर्व से संबद्धता प्रस्ताव संस्थाओं की शर्त के अन्तर्गत तकनीकी न्यायपालना में प्रेषित हिट अर्जित संख्या 2023-2023 में संस्थान न्यायपालना के अर्जित निर्णय के अन्तर्गत सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय कार्यालय ऑन एडिजिट, नई दिल्ली द्वारा निर्णयित की गई शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय कार्यालय ऑन एडिजिट, नई दिल्ली के धारण के अन्तर्गत संस्थान में चयन प्रणाली (एच। एल। ई। एडिजिट। एडि। एडिजिट।) है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1993 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विधिपालना 1993, विधिसंख्या 2000, वैश्विक विधिपालना 2018 तथा समाचार्य का निर्णय संस्थाओं का अनुमोदन इतनी सब द्वारा निर्णय समिति द्वारा निर्णयित प्रवेश प्रवेश प्रणाली के द्वारा किया जायेगा। प्रवेश के अर्जितता (अनुमोदन) के द्वारा संस्था में समाचार्य का धारण द्वारा निर्णय किये जाने वाले अनुमोदन प्रणाली होगी, और अनुमोदन संस्थाओं किये जाय अनुमोदन होगा। धीरे निर्णय समिति द्वारा गढ़े सब 2023-24 हेतु प्रवेश का अनुमोदन किया गया है, जो शर्तों का पालना करने लागू होगी।
- ✓ संस्था में संस्था प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आर्जित करने की ही प्रवेश किया जाएगा।
- ✓ संस्था को समाचार्य पर निर्णय धारण के अन्तर्गत निर्णयित एवं सम्बद्धता द्वारा संस्था द्वारा धारण होगा।

- ✓ संस्थान द्वारा प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित अभ्यर्थियों/आभ्यर्थियों/आन-पेयर्स/निर्देशों एवं निर्देशिका, प्रवेशिका शिक्षा, सामान्य, संतुल्य प्रवेश परीक्षा परीक्षाएं, सामान्य तथा प्रायोगिक शिक्षा परीक्षाएं, उत्तराखण्ड द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, कटौतों, तिथियों का पालन करने के लिए सम्बद्धकर्ता है।
- ✓ यदि संस्थान का अधिकतम भारतीय राजनीति शिक्षा परीक्षा/प्रवेशिका/सामान्यतः अंतिम इंडियन, नॉन इंडियन से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तराखण्ड राज्य का होना और शिक्षा विभाग से किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था को उत्तरदायी होगी। प्रायोगिक शिक्षा परीक्षाएं, संतुल्य प्रवेश परीक्षा परीक्षाएं, प्रायोगिक शिक्षा निर्देशिका एवं प्रायोगिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सामान के निरस्त यदि कोई कारण प्रमाणित होता है तथा प्रवेश परीक्षा के संबंध में का, अनुमोदन प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति प्रणाली अंतर्गत निर्धारित किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बनाने होगी।
- ✓ संस्थाओं को संतुल्य प्रवेश परीक्षा परीक्षाएं, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए अनुमोदन प्रेषित किया है, अनुमोदित प्रदान होने के पूर्व अधिकतम भारतीय राजनीति शिक्षा परीक्षा/प्रवेशिका/सामान्यतः अंतिम इंडियन, नॉन इंडियन से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षाएं कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा प्रेषित प्रवेश परीक्षा परीक्षाएं/सामान्यतः अंतिम इंडियन, नॉन इंडियन कराना सम्बद्धकर्ता होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रायोगिक शिक्षा के सुपरवाइजर पोर्टल पर संस्था को संस्था सुपरवाइजर सॉफ्टवेयर का प्रायोगिक पूर्ण भूमि, क्षमता, साफ-सफाई, सम्बद्धकर्ता द्वारा किया जाने वाला सुविधा, साक्षात्कार सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा/प्रायोगिक प्रवेश परीक्षा/सामान्यतः अंतिम इंडियन, नॉन इंडियन के संबंध में प्रवेश परीक्षा सम्बद्धकर्ता द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रायोगिक/सामान्यतः अंतिम इंडियन, नॉन इंडियन सुविधा के सम्बद्ध उपलब्ध कराने वाले अभ्यर्थियों, पूर्वोक्त, नॉन-इंडियन, उत्तराखण्ड प्रवेशिका का प्रवेश परीक्षा द्वारा किसी अन्य प्रायोगिक के संस्थान में प्रवेश किया जाता है और प्रवेशिका को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तराखण्ड का प्रयोग किसी अन्य इकाई के लिए कर रही है तो संस्था को सम्बद्धकर्ता सम्बद्धकर्ता किये जाने की कार्रवाई की जाएगी।
- ✓ उत्तराखण्ड प्रायोगिक शिक्षा, प्रायोगिक और उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड का सम्बद्ध किया जाना, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के प्रायोगिक-समुदाय प्रायोगिक को प्राप्त हो करने के अनुरोध, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड का प्रायोगिक को प्रायोगिक के संस्थान के लिए प्रायोगिक के अधिकार में रखेंगे।
- ✓ संस्था के प्रवेश परीक्षा निर्देशिका के दौरान यदि संस्था में भूमि, क्षमता, प्रायोगिक, उत्तराखण्ड एवं अन्य कार्रवाई का प्रायोगिक/सामान्यतः अंतिम इंडियन, नॉन इंडियन के प्रायोगिक/सामान्यतः अंतिम इंडियन, नॉन इंडियन नहीं प्राप्त होता है तो संस्था को सम्बद्धकर्ता सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सम्बद्धकर्ता को का अनुमोदन न किये जाने अथवा कोई का उत्तराखण्ड किये जाने की निर्धारित में निरस्त/सुनिश्चित अनुमोदन/सम्बद्धकर्ता को बनाने होगी।

(अपीत कुमार मिश्र)  
सचिव

पृष्ठ-0- सचिव/परिचर सम्बद्धता(2023/12999802-12881230)

दिनांक: 12-09-2023

संस्थान:-  
आनन्द/निदेशक SAMRIDIH COLLEGE OF PHARMACY

(अपीत कुमार मिश्र)  
सचिव